



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072024-255341
CG-DL-E-11072024-255341

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 10, 2024/आषाढ 19, 1946

No. 352]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2024/ASHADHA 19, 1946

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2024

का.आ. 375(अ).— औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम (23 का 1940) 1940 की धाराएं द्वारा 33 एवं 12 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियमों के माध्यम से औषधि एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 में आगे संशोधन का प्रस्ताव करती है और इसे प्रकाशन के पश्चात औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से एतद्वारा इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि भारत के राजपत्र की प्रतियों को आम जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की तिथि से पैंतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद उक्त प्रारूप नियमों को विचारार्थ लिया जाएगा;

केंद्र सरकार द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हैं, अवर सचिव (औषधि), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं 414-ए, डी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली -110011 को भेजे जाएं या drugsdiv-mohfw@gov.in पर ई मेल-किए जाएं।

नियमों का मसौदा

1. (1) इन नियमों को औषध नियम (संशोधन), 2024 कहा जाएगा।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. औषध नियम, 1945 में, -
 - (i) नियम 74 के खंड (त) में, "में विनिर्दिष्ट औषधियों" शब्दों के पश्चात् "अनुसूची छ" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
 - (ii) नियम 74 क के खंड (झ) में, "में विनिर्दिष्ट औषधियों" शब्दों के पश्चात् "अनुसूची छ" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
 - (iii) नियम 74 ख के खंड (7) में, "में विनिर्दिष्ट औषधियों" शब्दों के पश्चात् "अनुसूची छ" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
 - (iv) नियम 78 के खंड (थ) में, "में विनिर्दिष्ट औषधियों" शब्दों के पश्चात् "अनुसूची छ" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
 - (v) नियम 78 क के खंड 8) में, "में विनिर्दिष्ट औषधियों" शब्दों के पश्चात् "अनुसूची छ" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. एक्स.11035/47/2024-डीआरएस]

राजीव वधावन, सलाहकार (लागत)

टिप्पणः—मूल नियम अधिसूचना संख्या एफ.28-10/45-एच (1), दिनांक 21 दिसंबर, 1945 द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या जीएसआर 293(ई), दिनांक 28 मई, 2024 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2024

G.S.R. 375(E).—The following draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sections 12 and section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), after consultation with the Drugs Technical Advisory Board is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration or after the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Gazette of India these draft rules are made available to public;

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Under Secretary (Drugs), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Room No. 414 A, D Wing, Nirman Bhavan, New Delhi - 110011 or emailed at drugsdiv-mohfw@gov.in.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Drugs Rules (.....Amendment), 2024.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Drugs Rules, 1945, —
 - (i) in rule 74, in clause (p), after the words "the drugs specified in", the words "Schedule G," shall be inserted;
 - (ii) in rule 74A, in clause (i), after the words "the drugs specified in", the words "Schedule G," shall be inserted;

- (iii) in rule 74B, in clause (7), after the words “the drugs specified in”, the words “Schedule G,” shall be inserted;
- (iv) in rule 78, in clause (q), after the words “the drugs specified in”, the words “Schedule G,” shall be inserted;
- (v) in rule 78A, in clause (8), after the words “the drugs specified in”, the words “Schedule G,” shall be inserted.

[F.No. X.11035/47/2024-DRS]

RAJIV WADHAWAN, Adviser (Cost)

Note:—The principal rules were published in the Official Gazette *vide* notification No.F.28-10/45-H (1), dated 21st the December, 1945 and last amended *vide* notification number G.S.R 293 (E), dated 28.05.2024.